☎ कार्यालय / फैक्स:0135–2759799
ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

कार्यालय – निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पत्रांक 1856/पॉली लाईनिंग शीट/2018–19 दिनांक:देहरादून:नवम्बर 3, 2018

पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक निर्माण हेतु पॉली लाईनिंग शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI)

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के Other Intervention घटक के अन्तर्गत पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक निर्माण हेतु पॉली लाईनिंग शीट की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के विभाग में दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये अभिव्यक्ति की अभिरूचि आमन्त्रित किये जाते हैं। पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक निर्माण पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजनान्तर्गत सामुदायिक सिंचाई टैंक 100x100x3 मी0 सिंचाई क्षेत्र (Command Area) कम से कम 10 है0 पर मैदानी क्षेत्रों के लिये रू0 20.00 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रू0 25.00 लाख (100 प्रतिशत राजसहायता) पर निर्मित किये जाने हैं। व्यक्तिगत कृषकों को पर्वतीय क्षेत्रों में 20x20x3 मी0 आकार के पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक पर निर्धारित लागत रू0 1.80 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 0.90 लाख व मैदानी क्षेत्रों में रू0 1.50 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 0.75 लाख देय है। MIDH की मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार सिंचाई टैंक की क्षमता एवं सिंचाई क्षेत्र (Command Area) के अनुसार समानुपातिक रूप से छोटे सिंचाई टैंकों के निर्माण पर राजसहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। पॉली लाईनिंग शीट की विशिष्टियों (Specification) में लाईनिंग सामग्री को BIS मानकों पर खरा होना चाहिये।

अतः गुणवत्तायुक्त पॉली लाईनिंग शीट की दरें, विशिष्टियां निर्धारित प्रारूप में दिनांक 27.11.2018 को अपरान्ह 02:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आमन्त्रित की जाती है।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप–1 एवं शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु रू0 2360/– (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र GST सहित) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देहरादून शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।

(आर0सी0 श्रीवास्तव)
निदेशक, बागवानी मिशन

☎ कार्यालय/फैक्स:0135–2759799
ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

कार्यालय – निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक निर्माण हेतु पॉली लाईनिंग शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) की शर्तें

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजनान्तर्गत पॉली लाईनिंग सिंचाईं टैंक निर्माण हेतु पॉली लाईनिंग शीट की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के विभाग में दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) आमन्त्रित किये जाते हैं। पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक निर्माण पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजनान्तर्गत सामुदायिक सिंचाईं टैंक 100x100x3 मी0, सिंचाईं क्षेत्र (Command Area) कम से कम 10 है0, मैदानी क्षेत्रों के लिये रू0 20.00 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रू0 25.00 लाख (100 प्रतिशत राजसहायता) पर निर्मित किये जाने हैं। व्यक्तिगत कृषकों को 20x20x3 मी0 आकार के पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक पर पर्वतीय क्षेत्रों में अनुमन्य लागत रू0 1.80 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 0.90 लाख राजसहायता व मैदानी क्षेत्रों में रू0 1.50 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 0.75 लाख राजसहायता देय है। MIDH की मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार सिंचाई टैंक की क्षमता एवं सिंचाई क्षेत्र (Command Area) के अनुसार समानुपातिक रूप से छोटे सिंचाई टैकों के निर्माण पर राजसहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। पंजीकरण हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

1. पॉली लाईनिंग शीट की विशिष्टियों (Specification) में लाईनिंग सामग्री को BIS मानक IS 2508:2016, IS 15351:2015, IS 15909:2015, IS 14611: 2016, IS 16352:2015 के अनुसार होना चाहिये।
2. BIS की विशिष्टियां HDPE Polyethylene Films और HDPE Geo-membrane BIS मानक के अनुरूप जो समय–समय पर जारी की जाती है, के अनुसार होगा।
3. पॉली लाईनिंग शीट की मोटाई व्यक्तिगत सिंचाई टैंक (20x20x03 mtr. से कम हेतु) कम से कम 300 माइक्रान व सामुदायिक सिंचाई टैंक (20x20x03 mtr. से अधिक हेतु) कम से कम 500 माइक्रान होनी चाहिये।
4. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड किये गये प्रारूप को जमा करते समय रू0 2360/– (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र GST सहित) का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम, देहरादून शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।
5. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''पॉली लाईनिंग शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु आवेदन'' अंकित हो, दिनांक 27.11.2018 को सांय 02:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय में जमा करना होगा।
6. पंजीकरण की वैधता तिथि दिनांक 31.03.2022 तक होगी। फर्म/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवश्यक अभिलेखों की वैधता तिथि पंजीकरण की वैधता तिथि तक होनी आवश्यक है। ऐसे अभिलेख जिनकी वैधता पूर्व में जारी होकर अवधि बीच में समाप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित नवीनीकृत अभिलेख ससमय विभाग को उपलब्ध कराये जाने होगें। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने की दशा में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
7. फर्म/कम्पनी को पॉलीलाईनिंग टैंक निर्माण का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है (दो वर्षों के अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण पत्र या अनुभव के सापेक्ष साक्ष्य सलंग्न करनी होगी), जिसमें 150000 वर्ग मी0 पॉलीशीट को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया हो।
8. विभाग आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
9. विभाग द्वारा जारी पंजीकरण हेतु EoI के समय में बिना कारण बताये परिवर्तन या संशोधन (आंशिक या पूर्ण) का अधिकार निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को होगा।
10. पॉली लाईनिंग शीट पर कम्पनी का लोगो (Logo), बैच नं0, ब्राण्ड का नाम, आई0एस0 कोड, बैच नम्बर, मैन्यूफैक्चरिगं की तिथि तथा लाईसेन्स नम्बर इत्यादि का विवरण अंकित होना आवश्यक है।

क्रमशः–2–

11. पॉली लाईनिंग सिंचाईं टैंक निर्माण पर देय राजसहायता की मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से पॉलीथीन शीट क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की सहमति पर मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी पॉलीलाईनिंग शीट क्रय कर कास्तकारों को पॉली लाईनिंग शीट का वितरित किया जा सकता है।
12. पॉली लाईनिंग सिंचाईं टैंक निर्माण के लागत का 50 प्रतिशत कार्य श्रमांश के रूप में (गढ्ढा खुदान एवं श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अन्य आवश्यक कार्य), कृषक द्वारा करवाये जायेगें। उक्त कार्य मनरेगा के माध्यम से भी कराये जा सकते हैं।
13. फर्म/कम्पनी को कृषक द्वारा पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक हेतु खोदे गये गड्ढे में पॉली लाईनिंग शीट को बिछाया/फिट किया जायेगा।
14. कृषक के द्वारा स्वंय पॉलीलाईनिगं शीट खरीदने की स्थिति में भी फर्म द्वारा किसान के प्रक्षेत्र में पौन्ड हेतु बने गड्ढे में मानक के अनुसार पॉलीलाईनिंग शीट बिछाई/फिट की जायेगी, जिसमें पानी भरकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पॉलीलाईनिंग टैंक में पानी रूक रहा है, जिसका प्रमाण पत्र किसान से प्राप्त किया जाना होगा।
15. कृषक द्वारा स्वयं विभाग में पंजीकृत फर्म/कम्पनी से पॉली लाईनिंग शीट क्रय किया जाता है तो उसके पॉली लाईनिंग सिंचाई टैंक का सक्षम स्तर से भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में RTGS के द्वारा किया जायेगा।
16. पॉलीथीन शीट की आपूर्ति समस्त जनपद मुख्यालयों पर समान दर पर ही करनी होगी।
17. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
18. फर्म को पॉली लाईनिंग शीट की Quality Assurance हेतु CIPET (Central Institute of Plastics Engineering and Technology (India) लखनऊ की परीक्षण आख्या उपलब्ध करानी आवश्यक होगी, साथ ही विभाग द्वारा भी आपूर्ति की गयी पॉली लाईनिंग शीट की आवश्यकतानुसार परीक्षण कराया जा सकता है। परीक्षण रिपोर्ट मानकानुसार न पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म को काली सूची में अंकित कर विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
19. पॉली लाईनिंग शीट की आपूर्ति के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष तक पॉली लाईनिंग शीट अपने आप खराब न होने की गारन्टी की स्थिति में गारन्टी प्रदान करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निःशुल्क पॉलीथीन शीट बदलनी होगी।
20. आपूर्ति की जाने वाली पॉली लाईनिंग शीट का रंग साफ (Uniform Colour) तथा छिद्र रहित होना चाहिए।
21. अनुभवी एवं विशेषज्ञता प्राप्त विभाग में पंजीकृत पॉली लाईनिंग शीट उत्पादकों/फर्मों के द्वारा ही सामुदायिक सिंचाईं टैंक (**100x100x3** मी0) का निर्माण NCPAH द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा।
22. पर्वतीय क्षेत्र में पॉलीलाईनिगं टैंक निर्माण हेतु गढ्ढे की सतह तैयार करते समय कंकड़ व तीखे पत्थरों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है तथा गढ्ढे की सतह चिकना व कंकड़ पत्थर रहित होना आवश्यक है, ताकि पॉली लाईनिंग शीट को क्षति न पहुँचे।
23. पंजीकरण उपरान्त फर्म/कम्पनी को पॉली लाईनिंग टैंक के निर्माण हेतु पॉली लाईनिंग शीट को जोड़ने, टैंक में फिट करने, रखरखाव सम्बन्धी तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा।
24. पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफे को विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 27.11.2018 को ही अपरान्ह 02:00 बजे खोला जायेगा।
25. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियों द्वारा विक्रय किए गए पॉली लाईनिंग शीट की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
26. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फर्म/कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
27. फर्म/कम्पनी को किसान की आवश्यकतानुसार पॉलीथीन शीट को काटने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
28. फर्म/कम्पनी को किसानोपयोगी साहित्य भी उपलब्ध कराने होगें।

क्रमश–3–

आवश्यक अभिलेखः

1. पॉली लाईनिंग शीट के दो वर्ग फीट के 14 टुकड़े जो मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों एवं उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार को नमूने के रूप में प्रदान किये जायेगें साथ ही दो वर्ग मीटर का टुकडा नमूने के तौर पर नोडल कार्यालय में भी रखा जायेगा, को फर्म को निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा, जिस पर कम्पनी का Logo, ब्राण्ड का नाम, IS सहित अन्य सूचनायें स्पष्ट रूप से अंकित हो।
2. रू0 2360.00 का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बना हो तथा देहरादून में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. पंजीकरण हेतु रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बन्धक हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता तिथि दिनांक 31.03.2022 तक होनी अनिवार्य है।
4. फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा फर्म के डीलर/अधिकृत विक्रेता का कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
5. फर्म/कम्पनी द्वारा पॉली लाईनिंग शीट का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. पॉली लाईनिंग शीट की Quality Assurance हेतु CIPET (Central Institute of Plastics Engineering and Technology (India) की परीक्षण आख्या संलग्न करनी होगी।
7. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण संलग्न करना होगा।
8. पॉली लाईनिंग शीट की आपूर्ति के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष तक की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. फर्म/कम्पनी द्वारा अपने तथा अपने समस्त डीलरों के GST एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
10. कम्पनी का Indian Company Act - 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. आवेदक की अपनी स्वयं की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट/प्लान्ट मशीनरी होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य प्रस्तुत करने होगें।
12. फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13. फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 1.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य में सी0ए0 द्वारा विगत 03 वर्षों की तैयार बैलेन्स सीट की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें CA की मुहर एवं पंजीकरण संख्या स्पष्ट अंकित होनी चाहिये।
14. फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
15. फर्म द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से में कम से कम 05 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर फार्म पौन्ड का आकार एवं काम पूर्ण करने का दिनांक सहित सूची संलग्न करनी होगी।
16. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को पॉली लाईनिंग शीट की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
17. समस्त अभिलेख स्व प्रमाणित होने आवश्यक हैं।

निदेशक, बागवानी मिशन

☎ कार्यालय / फैक्स:0135–2759799
ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

कार्यालय – निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पॉली लाईनिंग शीट की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप–1

बैंक ड्राफ्ट संख्या .... धनराशि .... दिनांक ....

Available Indian Standards of Plastic liner for lining of Community/Individual ponds tanks (Water harvesting System)

Sl. No.	Name and address of Manufacturing firm/company	Title of Standards	IS Code	Thickness (in Micron)	Rate per sqm with all texas	Name and address of Dealer in Uttarakhand
01	02	03	04	05	06	07
		Polyethylene Films and Sheets-Specification	IS 2508:2016			
		Agro Textile- laminated high density polyethylene (HDPE) woven geo-membrane for water proof lining- Specification (Second revision)	IS 15351:2015			
		PVC Geo – membranes for Lining-Specification (First revision)	IS 15909:2015			
		Multilayered cross laminated sheets/tarpaulins/covers/ agricultural films-Specification (First Revision)	IS 14611: 2016			
		Geosynthetic – High Density Polyethylene Geo- membrane for Lining- Specification.	IS 16352:2015			

फर्म / कम्पनी का नाम...

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर...............................

फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम...................................

फर्म / कम्पनी की मुहर.......................................